प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/709–2023/2514-77 /2024–25 दिनांक : 31 मई, 2025

विषय : सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पत्र संख्या/प्रा०शि० –दो(2)/709–2023/95–98/2022–23 दिनांक 05 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1/66375/XXIV-A-I/2022–12983/2022 दिनांक 27–09–2022 द्वारा विशेष शिक्षकों हेतु सृजित 380 पदों पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/109430/XXIV-A-I/2023–12983/2022 दिनांक 25–03–2023 में प्राविधानित उपबन्धों के अनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

02– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/109430/XXIV-A-I/2023–12983/2022 दिनांक 25–03–2023 को कार्यालय ज्ञाप संख्या–301551/XXIV-A-I/2025–12983/2022 दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। संशोधनोपरान्त जनपदवार सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	जनपद का नाम	जनपद हेतु सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) हेतु निर्धारित पदों की संख्या (संशोधित)
1	पौडी	45
2	चमोली	27
3	रूद्रप्रयाग	9
4	टिहरी	27
5	उत्तरकाशी	18
6	देहरादून	18
7	हरिद्वार	18
8	नैनीताल	24
9	अल्मोड़ा	33
10	बागेश्वर	9
11	चम्पावत	12
12	पिथौरागढ़	24
13	उधमसिंह नगर	21
	योग	**285**

03– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–05–2025 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता डी०एड० (विशेष शिक्षा) अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा होगी तथा बी०एड० (विशेष शिक्षा) को हटा दिया गया है एवं पदों की संख्या को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त

आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त डी०एड० (विशेष शिक्षा) उपाधि धारक का आर०सी०आई० में वैध रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–301551/XXIV-A-1/2022–12983/2022 दिनांक 28–05–2025 के द्वारा पदों का पुनर्निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप तदनुसार आरक्षणवार रोस्टर को संशोधित किया जाना होगा।

अतः उक्त निर्देशों एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–05–2025 में वर्णित प्राविधानों एवं पदों की संख्या को प्रसारित करने हेतु वर्ष 2023 में निर्गत विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/709–2023/2574-77. /2025–26 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून